



सूचना
का
अधिकार

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक:एफ.16(1)(198)/सूचना/आईसीडीएस/15/111404-436 जयपुर, दिनांक 15-6-18

लोक सूचना अधिकारी एवं उपनिदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 के अन्तर्गत वर्ष 2017-2018 की सूचना उपलब्ध कराने के क्रम में।

प्रसंग:- निदेशालय का पत्र क्रमांक 61986-2018 दिनांक 17.04.18 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, की धारा 25 के अन्तर्गत आयोग द्वारा वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तैयार किया जाना है। इस संदर्भ में आयोग से प्राप्त पत्रानुसार प्रासंगिक पत्र के साथ प्रारूप संलग्न कर आपके जिला कार्यालय एवं परियोजना कार्यालयों में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों एवं प्रथम अपील की सूचना तीन दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने हेतु लिखा गया था। वांछित सूचना आज दिनांक तक भी प्राप्त नहीं हुई है। इससे आपकी राजकार्य के प्रति उदासीनता प्रकट होती है।

अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि वांछित सूचना तत्काल ई मेल से adc.wcd@rajasthan.gov.in भिजवाकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें, अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित करने के साथ मा0 आयोग को भी सूचित कर दिया जायेगा।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

संलग्न - उपरोक्तानुसार

Pant
लोक सूचना अधिकारी
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

प्रारूप - 1

सूचना का अधिकार एक्ट के तहत निस्तारित

लोक सूचना अधिकारी.....

विभाग, समेकित बाल विकास सेवाएं
समयावधि वर्ष 2017-18

प्राप्त आवेदन (संख्या)			सूचना दी गई (संख्या)		अस्वीकृत	लम्बित	प्राप्त राशि (रूपयों में)
कुल	जिला मुख्यालय पर	अन्य (सीडीपीओ से प्राप्त)	समयावधि में	समयावधि पश्चात			
1	2	3	4	5	6	7	8

नोट : कॉलम 1=2+3 एवं कॉलम 4+5+6+7=1

प्रारूप - 2

सूचना का अधिकार एक्ट के तहत प्रथम अपीलों का निस्तारण

अपील प्राधिकरण.....

विभाग, समेकित बाल विकास सेवाएं
समयावधि वर्ष 2017-18

कुल प्राप्त अपीलों (संख्या)	निस्तारित		लम्बित (संख्या)
	स्वीकृत	अस्वीकृत	
1	2	3	4

नोट : कॉलम 1=2+3+4